

सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा

(राष्ट्रसंघक साधारण सभा 10 दिसम्बर, 1948 कें एक सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा स्वीकृत आ' उद्घोषित कएलक जकर पूर्णपाठ आगाँ देल गेल अछि। एहि ऐतिहासिक घोषणाक उपरान्त साधारण सभा समस्त सदस्य देशसँ अनुरोध कएलक जे ओ एहि घोषणाक प्रचार करए तथा मुख्यतः, अपन देश आ' प्रदेशक राजनैतिक स्थितिक अनुरूप बनि भेदभावक, स्कूल आ' अन्य शिक्षण संस्था सभमे एकर प्रदर्शन, पठन - पाठन आ' अनुबोधनक व्यवस्था करए।)

एहि घोषणाक आधिकारिक पाठ राष्ट्रसंघक पाँच भाषामे उपलब्ध अछि - अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी आ, स्पेनिश। एहिठाम एहि घोषणाक मैथिली रूपान्तरण प्रस्तुत अछि।

उद्देश्यक

जें कि मानव परिवारक सकल सदस्यक जन्मजात गरिमा आओर समान एवं अवच्छेद्य अधिकारकें स्वीकृतदेब स्वतन्त्रता, न्याय आ' विश्वशान्तिक मूलाधार थकि,

जें कि मानवाधिकारक अवहेलना आ' अवमाननाक परिणाम होइछ एहन नृशंस आचरण जाहिसँ मानवक अन्तःकरण मरमाहत होइत अछि आओर अवरुद्ध होइत अछि एक एहन विश्वक अवतरण जाहमे अभिव्यक्ति आ' विश्वासक स्वतन्त्रता तथा भय आ' अकचिन्तासँ मुक्ति जनसामान्यक सर्वोच्च आकांक्षा घोषित हो;

जें कि विधिसिम्मत शासन द्वारा मानवाधिकारक रक्षा एहि हेतु परमावश्यक अछि जे केओ व्यक्ति अत्याचार आ' दमनसँ बँचबाक कोनो आन उपाय नहि पाबि, शासनक वरिद्ध बागी नहि भए जाए;

जें कि राष्ट्रसभक बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढाएब परमावश्यक अछि;

जें कि राष्ट्रसंघक लोक अपन चार्टर मध्य मौलिक मानवाधिकारमे, मानवक गरिमा आ' मूल्यमे तथा स्त्री आ' पुरुषक बीच समान अधिकारमे अपन निष्ठा पुनः परिष्कृत कएलक अछि आओर व्यापक स्वतन्त्रताक संग सामाजिक प्रगति आ' जीवन स्तरक समुन्नयन हेतु कृत संकल्पति अछि;

जें कि सदस्य राष्ट्रसभ राष्ट्रसंघक सहयोगसँ मानवाधिकार आ' मौलिक स्वतन्त्रताक सार्वभौम आदर तथा अनुपालन करबाक हेतु प्रतबद्ध अछि;

जें कि एहि प्रतबद्धताक पूर्ति हेतु उक्त अधिकार आ स्वतन्त्रताक सामान्य बोध परम महत्त्वपूर्ण अछि,

तैं आव,

साधारण सभा

नमिलखित सार्वभौम मानवाधिकार घोषणाकें सभ जनता आ' सभ राष्ट्रक हेतु उपलब्धक सामान्य मानदण्डक रूपमे, एहि उद्देश्यसँ उद्घोषित करैत अछि जे प्रत्येक व्यक्ति आ' प्रत्येक सामाजिक एकक एहि घोषणाकें नरिन्तर ध्यानमे रखैत शिक्षा आ' उपदेश द्वारा एहि अधिकार आ' स्वतन्त्रताक प्रति सम्मान भावना जगाबए तथा उत्तरोत्तर एहन उपाय - राष्ट्रीय आ अन्तरराष्ट्रीय - करए जाहिसँ सदस्य राष्ट्रसभक लोक बीच तथा अपन अधीनस्थ अधिकिष्टहरूक लोक बीच एहि अधिकार आ' स्वतन्त्रताकें सार्वभौम आ' प्रभावकारी स्वीकृति प्राप्त भए सकै।

अनुच्छेद 1

सभ मानव जन्मतः स्वतन्त्र अछि तथा गरिमा आ' अधिकारमे समान अछि। सभकें अपन - अपन बुद्धि आ' वविक छैक आओर सभकें एक दोसराक प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करबाक चाही।

अनुच्छेद 2

प्रत्येक व्यक्ति एहि घोषणामे नहि सभ अधिकार आ' स्वतन्त्रताक हकदार थकि आओर एहिमे नस्ल, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक वा अन्य मत, राष्ट्रीय वा सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति, जन्म अथवा अन्य स्थितिक आधार पर कोनहु प्रकारक भेदभाव नहि कएल जाएत। आओर ओ व्यक्ति जाहि देशक थकि तकर राजनैतिक अधिकारितामूलक वा अन्तरराष्ट्रीय आस्थितिक आधार पर कोनो भेदभाव नहि कएल जाएत - भनहि ओ देश स्वाधीन हो, ट्रस्ट हो, परशासित हो वा सम्प्रभुताक कोनो अन्य परसीमाक अधीन हो।

अनुच्छेद 3

सभकें जीवन - धारण, स्वातन्त्र्य आ' व्यक्तिगत सुरक्षाक अधिकार छैक।

अनुच्छेद 4

केओ व्यक्ति दासता वा बेगारीमे नहि रहत आओर सभ प्रकारक दासप्रथा आ' दासक खरीद - बिक्री वर्जित होएत।

अनुच्छेद 5

ककरहु क्रूर, अमानुषक वा अपमानजनक दण्ड नहि देल जाएत आ' ककरोसँ एहन व्यवहार नहि कएल जाएत।

अनुच्छेद 6

प्रत्येक व्यक्ति सभ ठाम कानूनक समक्ष एक मानव रूपमे अपन मान्यताक अधिकार छैक।

अनुच्छेद 7

सभ केओ कानूनक समक्ष समान अछि आ' बनि कोनो भेदभावक कानूनक संरक्षणक हकदार अछि।

अनुच्छेद 8

सभकें एहन कार्यक वरिद्ध जे संविधान वा वधिद्वारा प्रदत्त ओकर मौलिक अधिकारक हनन करैत हो सक्रम राष्ट्रीय न्यायालयसँ उचित उपचार (न्याय) पएबाक हक छैक।

अनुच्छेद 9

केओ स्वेच्छासँ ककरो गरिफ्तार, नजरबन्द वा देश नरिवासित नहि करत।

अनुच्छेद 10

सभ व्यक्तिकि अपन अधिकार आ' दायित्वक अवधारणार्थ तथा अपना पर लगाओल गेल कोनो अपराधिक आरोपक अवधारणार्थ कोनो स्वतन्त्र आ' नष्पेक्ष न्यायालय द्वारा पूर्ण समानताक संग उचिति आ' सार्वजनिक वचिरणक हक छैक।

अनुच्छेद 11

दण्डनीय अपराधक आरोपी प्रत्येक व्यक्तित्वधरि नरिदोष मानल जाएबाक हकदार अछि जाधरि कोनो सार्वजनिक वचिरणमे, जाहिमे ओकरा अपन समुचित सफाई देबाक सभ गारंटी प्राप्त होइक, वधिवि' दोषी सिद्धि नह' किए' देल जाए।

जँ केओ व्यक्तिएहन कोनो दण्डनीय कार्य वा लोप करए जे घटनाक कालमे प्रचलति कोनो राष्ट्रीय वा अन्तरराष्ट्रीय कानूनक दृष्टिमे दण्डनीय अपराध नह' थिकि तँ ओ व्यक्तिएहि हेतु दण्डनीय अपराधक दोषी नह' मानल जाएत।

अनुच्छेद 12

केओ व्यक्तिकोनो आन व्यक्तिके एकान्तता, परिवार, नविस वा संलाप (पुत्राचारादी) मे स्वेच्छया हस्तक्षेप नह' किरत आ' ने ओकर प्रतष्ठा आ' ख्याति पर प्रहार करत। प्रत्येक व्यक्तिके एहन हस्तक्षेप वा प्रहारसँ कानूनी रक्षा पएबाक अधिकार छैक।

अनुच्छेद 13

प्रत्येक व्यक्तिके अपन राष्ट्रक सीमाक भीतर भ्रमण आ' नविस करबाक स्वतन्त्रता छैक।

प्रत्येक व्यक्तिके अपन देश वा आनो कोनो देश त्यागबाक आ' अपना देश घूरि अएबाक अधिकार छैक।

अनुच्छेद 14

प्रत्येक व्यक्तिके उत्पीड़नसँ बँचबाक हेतु दोसर देशमे शरण मङ्गबाक अधिकार छैक।

एहि अधिकारक उपयोग ओहि स्थितिमे नह' किएल जाए सकत जखन ओ उत्पीड़न वस्तुतः अराजनैतिक अपराधक कारणेँ भेल हो अथवा राष्ट्रसंघक उद्देश्य आ' सिद्धान्तक विरुद्ध कोनो काज करबाक कारणेँ।

अनुच्छेद 15

प्रत्येक व्यक्तिके राष्ट्रीयताक अधिकार छैक।

कोनो व्यक्तिके राष्ट्रीयताक अधिकारसँ अथवा राष्ट्रीयता - परिवर्तनक अधिकारसँ अकारण वंचित नह' किएल जा सकत।

अनुच्छेद 16

सभ वयस्क स्त्री आ' पुरुषकेँ नसल, राष्ट्रीयता वा सम्प्रदायमूलक कोनो प्रतबन्धक बनिा, विवाह करबाक आ' परिवार बनएबाक अधिकार छैक। स्त्री आ' पुरुष दूनोंकेँ विवाह, दाम्पत्य - जीवन तथा विवाह - वच्छेदक समान अधिकार छैक।

विवाह, तखनहोएत जखन इच्छुक पति आ' पत्नीक स्वच्छन्न आ' पूर्ण सहमति हो।

परिवार समाजक एक सहज आ' मौलिक एकक थिकि आओर एकरा समाजक आ' राज्यक संरक्षण पएबाक अधिकार छैक।

अनुच्छेद 17

प्रत्येक व्यक्तिके एकसरे आ' दोसराक संग मलिसम्पत्ति रखबाक अधिकार छैक।

केओ स्वेच्छया ककरहु सम्पत्तिसँ वंचित नह' किरत।

अनुच्छेद 18

प्रत्येक व्यक्तिके विचार, विवेक आ' धर्म रखबाक अधिकार छैक। एहि अधिकारमे समाविष्ट अछि धर्म आ' विश्वासक परिवर्तनक स्वतन्त्रता, एकसर वा दोसराक संग मलिकप्रकटतः वा एकान्तमे शक्तिषण, अभ्यास, प्रार्थना आ' अनुष्ठानक स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद 19

प्रत्येक व्यक्तिके अभिमत एवं अभिव्यक्तिके स्वतन्त्रताक अधिकार छैक, जाहिमे समाविष्ट अछि बिना हस्तक्षेपक अभिमत धारण करब, जाहि कोनहु क्षेत्रसँ कोनहु माध्यमे सूचना आ' विचारक याचना, आदान प्रदान करब।

अनुच्छेद 20

प्रत्येक व्यक्तिके शान्तपूर्ण सम्मेलन आ' संगठनक स्वतन्त्रताक अधिकार छैक।

कोनहु व्यक्तिके संगठन वशिषसँ सम्बद्ध होएबाक लेल वविश नह' किएल जाए सकैछ।

अनुच्छेद 21

प्रत्येक व्यक्तिके अपन देशक शासनमे प्रत्यक्षतः भाग लेबाक अथवा स्वतन्त्र रूपेँ नरिवाचिति अपन प्रतिनिधि द्वारा भाग लेबाक अधिकार छैक।

प्रत्येक व्यक्तिके अपना देशक लोक - सेवामे समान अवसर पएबाक अधिकार छैक।

जनताक इच्छा शासकीय प्राधिकारक आधार होएत। ई इच्छा आवधिकि आ' नरिबाध नरिवाचनमे व्यक्त कएल जाएत आओर ई नरिवाचन सार्वभौम एवं समान मताधिकार द्वारा गुप्त मतदानसँ होएत अथवा समतुल्य मुक्त मतदान प्रक्रियासँ।

अनुच्छेद 22

प्रत्येक व्यक्तिके समाजक एक सदस्यक रूपमे सामाजिक सुरक्षाक अधिकार छैक आओर प्रत्येक व्यक्तिके अपन गरमि आ' व्यक्तित्वक नरिबाध वकिसक हेतु अनिवार्य आर्थिक, सामाजिक आ' सांस्कृतिक अधिकार - राष्ट्रीय प्रयास आओर अन्तरराष्ट्रीय सहयोगसँ तथा प्रत्येक राज्यक संघठन आ' संसाधनक अनुरूप - प्राप्त करबाक हक छैक।

अनुच्छेद 23

प्रत्येक व्यक्ति को काज करबाक, निर्बाध इच्छाक अनुरूप नयोजन चुनबाक, कार्यक उचिति आ' अनुकूल स्थिति प्राप्त करबाक आ' बेकारीसँ बचबाक अधिकार छैक।

प्रत्येक व्यक्ति को समान काजक लेल बनि भेदभावक समान पारिश्रमिक पएबाक अधिकार छैक।

काजमे लगाओल गेल प्रत्येक व्यक्ति को उचिति आ' अनुरूप पारिश्रमिक ततबा पएबाक अधिकार छैक जतबासँ ओ अपन आ' अपन परिवारक मानवोचिति भरण - पोषण कए सकए आओर प्रयोजन पड़ला पर तकर अनुपूरण अन्य प्रकारक सामाजिक संरक्षणसँ भए सकैक।

प्रत्येक व्यक्ति को अपन हतिक रक्षाक हेतु मजदूरसंघ बनएबाक आ' ओहिमे भाग लेबाक अधिकार छैक।

अनुच्छेद 24

प्रत्येक व्यक्ति को वशिराम आ' अवकाशक अधिकार छैक जकर अन्तर्गत अछि कार्य - कालक उचिति सीमा आ समय - समय पर वेतन सहति छी।

अनुच्छेद 25

प्रत्येक व्यक्ति को एहन जीवन - स्तर प्राप्त करबाक अधिकार छैक जे ओकर अपन आ' अपना परिवारक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु पर्याप्त हो। एहिमे समाविष्ट अछि भोजन, वस्त्र, आवास आ चिकित्सा तथा आवश्यक सामाजिक सेवाक अधिकार आओर जे अपरिहार्य कारणवश बेकारी, बीमारी, अपंगता, वैधव्य, वृद्धावस्था अथवा अन्य प्रकारक दुस्स्थिति हो तँ, ओहिसँ सुरक्षाक अधिकार।

प्रसौती आ' चलिहूँकाँ वशिष परचिरया आ सहायताक अधिकार छैक। प्रत्येक बच्चाक, चाहे ओ विवाहावधमि जनमल हो वा ताहिसँ बाहर, समान सामाजिक संरक्षणक अधिकार छैक।

अनुच्छेद 26

प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्तिक अधिकार छैक। शिक्षा कमसँ कम आरम्भिक आ' मौलिक अवस्थामे नःशुल्क होएत। आरम्भिक शिक्षा अनिवार्य होएत। तकनीकी आ व्यावसायिक शिक्षा सामान्यतया उपलब्ध होएत तथा उच्चतर शिक्षा सेहो सभकेँ योग्यताक आधार पर भेटैक।

शिक्षाक लक्ष्य होएत मानव व्यक्तित्वक पूर्ण विकास आओर मानवाधिकार आ' मौलिक स्वतन्त्रताक प्रत आदरभाव बढ़ाएब। शिक्षा राष्ट्रसभक बीच तथा जातीय वा धार्मिक समुदायसभक बीच पारस्परिक सद्भावना, सहपिण्डता आ' मैत्री बढ़ाओत तथा शान्तिक हेतु राष्ट्रसंघक प्रयासकेँ गति देत।

माता पति केँ ई चुनबाक तार्किक अधिकार छैक जे ओकर सन्तानकेँ कोन प्रकारक शिक्षा देल जाए।

अनुच्छेद 27

प्रत्येक व्यक्ति को समाजक सांस्कृतिक जीवनमे अबाध रूपेँ भाग लेबाक, कलाक आनन्द लेबाक तथा वैज्ञानिक विकासमे आ' तकर लाभमे अंश पएबाक अधिकार छैक।

प्रत्येक व्यक्ति को अपन सृजति कोनहु वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक कृतिसँ उत्पन्न, भावनात्मक वा भौतिक हतिक रक्षाक अधिकार छैक।

अनुच्छेद 28

प्रत्येक व्यक्ति को एहन सामाजिक आ अन्तरराष्ट्रीय आस्पद प्राप्त करबाक अधिकार छैक जाहिसँ एहि घोषणामे उल्लिखित अधिकार आ' स्वतन्त्रता प्राप्त कएल जाए सकए।

अनुच्छेद 29

प्रत्येक व्यक्ति ओहि समुदायक प्रतिकर्तव्यबद्ध अछि जाहिमे रहए कए ओ अपन व्यक्तित्वक अबाध आ' पूर्ण विकास कए सकैत अछि।

प्रत्येक व्यक्ति अपन अधिकार आ' स्वतन्त्रताक उपयोग ओहि सीमाक अभ्यन्तरे करत जकर अवधारण दोसराक अधिकार आ' स्वतन्त्रताक आदर आ' समुचित स्वीकृतिक सुनिश्चिति करबाक उद्देश्यसँ तथा नैतिकता, वधिव्यवस्था आ जनतान्त्रिक समाजमे सामान्य जनकल्याणक अपेक्षाक प्रतिक उद्देश्यसँ कानून द्वारा कएल जाएत।

एहि स्वतन्त्रता आ' अधिकारक प्रयोग कोनहु दशामे राष्ट्रसंघक सिद्धान्त आ' उद्देश्यक प्रतिकूल नहिकएल जाएत।

अनुच्छेद 30

एहि घोषणामे उल्लिखित कोनो बातक नखिचन तेना नहिकएल जाए जाहिसँ ई ध्वनित हो जे कोनो राज्यकेँ वा जनगणकेँ एहन गतिविधिमि संलग्न होएबाक वा कोनो एहन काज करबाक अधिकार छैक जकर लक्ष्य एहि घोषणाक अन्तर्गत कोनो अधिकार वा स्वतन्त्रताकेँ बाधित करब हो।

28 अगस्त, 2007